तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रसन्नचन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या 125/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-06-2022	अपीलार्थी प्रसन्नचन्द ओस्तवाल, निवासी 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor Sowcarpet, Chennai-600079 ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.02.2022 में (1) खसरा नम्बर 952 ग्राम भोपालगए में अतिकमण की रिपोर्ट पर दिनांक 06.03.2018 को जारी नोटिस धारा 91, एलआरए के तहत अणदाराम, बाबुलाल और श्रीमती कमला पर इन प्रत्येक ने तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष प्रस्तुत शपथ की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपागढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 182 दिनांक 03.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2022/171 दिनांक 19.05.2022 को डाक द्वारा प्रेषित जा चुकी है तथा जिन बिन्दुओं की सूचना नहीं दी जा सकती उसके कारणों का भी उल्लेख किया हुआ है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना दिनांक 19.05.2022 को डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु नियत अवधि के पश्चात् प्रेषित की गई जो खेदजनक है। द्वितीयत् जो सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित है,संबंधित लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रकिया के तहत अंतरित करना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक प्रकिया के तहत नियत अवधि में करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:19:15 IST
Reason: SelfAttested